2018/00132

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 87/2018

अनवान :

1. बृजलाल पुत्र हरिसिह जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
2. बलवीर पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
3. कृष्णकुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. बाधोदेवी पत्नी स्व0 ठाकर जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
2. हरिसिंह पुत्र स्व0 ठाकर जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
3. गिरदावरी पुत्री स्व0 ठाकर जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
4. सीमा पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
5. पंजाब नेशनल बैक शाखा मलसीसर तहसील भादरा जरिये प्रबन्धक।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं दुरूस्ती रिकार्ड

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री ताराचन्द मोठसरा : **वादी**

वकील श्री विक्रम शर्मा : **प्रतिवादी सं0 1 ता 4**

निर्णय **दिनांक :**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा घेऊ तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 198/181 के खसरा सं0 254 की 7.158 है0 खसरा सं0 512 की 2.807 है0 खसरा सं0 516 की 4.161 है0 कुल किता 3 की 14.126 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी बाधोदेवी एंव हरिसिंह के नाम से 895 हिस्सा खातेदारी दर्ज है जो कि पहले वादीगण के दादा ठाकर वल्द हजारी की खातेदारी हुआ करती थी। वादीगण के दादा ठाकर के देहान्त होने पर वादभूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में प्राप्त हुई थी। परन्तु वादभूमि प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के कर्ता खानदान होने के चलते उनके नाम से विरासतन दर्ज हो गई। पारिवारिक सैटलमेन्ट में प्रतिवादी बाधोदेवी ने अपने नाम दर्ज भूमि वादीगण के पंक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हिस्सा शुन्य कर लिया था। इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी हरिसिंह की कब्जा काश्त चली आ रही है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है। प्रतिवादी सं0 5 व 6 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 बृजलाल पुत्र हरिसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम घेऊ खाता सं0 198/181 सम्वत् 2071 से

74 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम घेऊ सम्वत् 2051 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादीगण के दादा ठाकर वल्द हजारी की खातेदारी हुआ करती थी। वादीगण के दादा ठाकर के देहान्त होने पर वादभूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में प्राप्त हुई थी और कर्ता खानदान होने के कारण उनके नाम दर्ज चली आ रही है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम घेऊ के राजस्व रिकार्ड में अपनी दादा व पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम घेऊ सम्वत् 2051 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है उनसे अनुसार वाद भूमि ठाकर वल्द हजारी के नाम अंकित है एवं जरिये इंतकाल सं0 412 बाधो बेवाह ठाकर व हरीसिंह वल्द ठाकर के नाम बहिस्सा बराबर विरासतन दर्ज हुई है जिससे वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में स्व0 ठाकर के वारिसान में पत्नि बाधो देवी, एक पुत्र हरिसिंह, एक पुत्री गिरदावरी, तीन पौत्र बृजलाल, बलबीर, कृष्ण कुमार व एक पौत्री सीमा होना व इनके अलावा अन्य कोई हकदार नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा घेऊ तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 198/181 के खसरा सं0 254 की 7.158 है0 खसरा सं0 512 की 2.807 है0 खसरा सं0 516 की 4.161 है0 कुल किता 3 की 14.126 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी बाधोदेवी एंव हरिसिंह के नाम से 895 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादीगण के पक्ष में त्याग दी है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार की कृषि भूमि वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14-6-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 87/2018

अनवान :

1. बृजलाल पुत्र हरिसिह जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
2. बलवीर पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
3. कृष्णकुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. बाधोदेवी पत्नी स्व0 ठाकर जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
2. हरिसिंह पुत्र स्व0 ठाकर जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
3. गिरदावरी पुत्री स्व0 ठाकर जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
4. सीमा पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
5. पंजाब नेशनल बैक शाखा मलसीसर तहसील भादरा जरिये प्रबन्धक।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री ताराचन्द मोठसरा एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा घेऊ तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 198/181 के खसरा सं0 254 की 7.158 है0 खसरा सं0 512 की 2.807 है0 खसरा सं0 516 की 4.161 है0 कुल किता 3 की 14.126 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी बाधोदेवी एंव हरिसिंह के नाम से 895 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादीगण के पक्ष में त्याग दी है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार की कृषि भूमि वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18-6-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़